



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 21, 2011/फाल्गुन 2, 1932

No. 92]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 21, 2011/PHALGUNA 2, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 104(अ).—केन्द्रीय सरकार लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 38क की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद् का निर्वाचन) संशोधन नियम, 2011 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागत और संकर्म लेखापाल (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 5 में “जिसका नाम उस वित्तीय वर्ष में 1 अक्टूबर को जिसमें परिषद् का निर्वाचन किया जाना हो, रजिस्टर पर उपलब्ध है” शब्द, अंक के पश्चात् “और उसकी प्रवेश फीस, वार्षिक सदस्यता फीस और अन्य देयताएं बकाये में नहीं हैं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल नियम के नियम 7 में “ऐसा सदस्य जो उस वित्तीय वर्ष में जिसमें निर्वाचन किए जाने हैं, 1 अक्टूबर को फीस सदस्य है।” शब्दों के पश्चात् “और प्रवेश फीस, वार्षिक सदस्यता फीस और अन्य देयताएं बकाये में नहीं हैं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. मूल नियम में नियम 7 के परंतुक के खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(च) वह संस्थान द्वारा या उसके अधीन नियोजित है।”

[फा. सं. 2/5/2010-पीआई]

डा. टी. वी. सोमनाथन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 712(अ), तारीख 17 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 554(अ), तारीख 23 जुलाई, 2008 द्वारा पश्चात्पूर्वी संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2011

G.S.R. 104(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 38A read with clause (a) of sub-section (2) of Section 9 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend to the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 5, after the words “whose name is borne on the Register”, the words “and his entrance fees, annual membership fees and other dues are not in arrears,” shall be inserted.

3. In the principal rules, in rule 7, after the words “a member who is a fellow”, the words “and his entrance fees, annual membership fees and other dues are not in arrears,” shall be inserted.

4. In the principal rules, in rule 7 in the proviso, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely :—

“(f) he is employed by or under the Institute.”.

[F. No. 2/5/2010-PI]

Dr. T. V. SOMANATHAN, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 712(E), dated the 17th November, 2006 and subsequently amended *vide* G.S.R. 554(E), dated the 23rd July, 2008.